हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सप्तम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 58

मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2014/18 अग्रहायण,1936 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन,तपोवन, धर्मशाला में आरम्भ हुई ।

11.01.30 AM

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्यः

सदन की बैठक प्रारंभ होते ही कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में कल रात हुई चोरी के संबंध में मुख्य मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया।

तत्पश्चात, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल,नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मुख्य मंत्री के ध्यान में लाया कि कुछ समय पहले इसी मंदिर में चांदी की चोरी हुई थी और कल रात उसी modus operandi से चोरी हुई है।उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि मंदिर में CCTV कैमरे मूर्तियों के पास लगाने की अपेक्षा बाहर लगाए गए हैं। उन्होंने चाहा कि सरकार इस संबंध में गहन चिन्तन और मनन करे। श्री कर्ण सिंह, सदस्य ने प्रो0 धूमल का समर्थन किया और सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की । इस पर मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया कि मंदिरों की चोरियों को रोकने के लिए हर प्रकार की संभव कोशिश की जाएगी।

11.09.56 AM

व्यवस्था का प्रश्नः

श्री महेन्द्र सिंह ने H. R. T. C. में TMPA की भर्ती में हो रही धांधली के संबंध में नियम 67 के अंतर्गत दिए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया और इस विषय की महत्ता बताते हुए कहा कि यदि इस विषय पर आज चर्चा नहीं की गई तो नौजवानों के साथ धोखा होगा क्योंकि विभिन्न मण्डलों में साक्षात्कार हो रहे हैं।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि " मैंने आपका नोटिस सरकार को टिप्पणी हेतु भेजा है। उत्तर आने के पश्चात मैं इस विषय पर विचार करूंगा और निर्णय दूंगा।"

11.13.50 AM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(1) **तारांकित :**

तारांकित प्रश्न संख्या 1361,1363,1364 और 1366 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। संबंधित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1362 और 1365 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। (**तारांकित प्रश्न संख्या 1366 के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सभी सदस्यों ने 11.58.34 बजे पूर्वाह्न नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया**) तारांकित प्रश्न संख्या 1367 से 1379 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे समझे गए।

(2) **अतारांकित :**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 647 से 649 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.00.30 PM

2. सभा पटल पर रखे गए कागजातः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** अकादमी के संविधान की धारा 21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 व 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने** हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 22(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण का 13वां वार्षिक लेखा और परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 394(2) के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14;

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13;

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 67 और 68 के साथ पठित धारा 180 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः एम0पी0पी0-ए0(3)-3/2003-II दिनांक 03.02.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.02.2014 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच एवं ओम्बड्समैन) विनियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/609-B/2014 दिनांक 04.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.01.2014 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य-संचालन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/Secy/151. दिनांक 10.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.01.2014 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश बिजली ओम्बड्समैन(अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 का निरसन जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC(IT)(1)-1 दिनांक 21.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.01.2014 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य-संचालन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/Secy/151. दिनांक 02.06.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.06.2014 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड (प्रथम् संशोधन) विनियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/438 दिनांक 11.06.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2014 को प्रकाशित; और

(ix) शुद्धिपत्र हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2013 जोकि दिनांक 30.06.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.07.2014 को प्रकाशित।

((iv) से (ix) तक विद्युत अधिनियम,2003 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

(4) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने** निम्नलिखितदस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग-II(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याःएएचवाई-ए(3)-19/2010 दिनांक 02.05.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.09.2013 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग,पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,2011 जोकि अधिसूचना संख्याःए.एच.वाई.-ए(3)2/2002-लूज़ दिनांक 22.12.2011 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2011 को प्रकाशित; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, प्रगणक, वर्ग-III(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 जोकि अधिसूचना संख्याःएएचवाई-ए(3)-7/2010 दिनांक 07.04.2011 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.04.2011 को प्रकाशित।

12.02.10 PM

3. **<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>**

1. **श्री मोहन लाल ब्राक्टा , सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15)ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **70वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **71वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **72वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त एवं सिविल) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **73वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है; और

(v) समिति का **74वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है।

(12.03.00 बजे अपराह्न विपक्ष के सभी सदस्य सदन के अंदर प्रवेश कर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए)

2. **श्री अनिरूद्ध सिंह,सदस्य,लोक उपक्रम समिति,(वर्ष 2014-15) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **27वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07(वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः4.1 पर आधारित

तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित; और

(ii) समिति का **28वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:3.4 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित ।

3. **श्री किशोरी लाल, सदस्य, मानव विकास समिति, (वर्ष 2014-15) ने** समिति का **आठवां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

4. **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2014-15) ने** समिति का **नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

12.04.10 PM

4. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 10)को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 10) पुरः स्थापित हुआ।

(II) **सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण**

(i) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयकसंख्यांक7) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ ।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड -2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 7) पारित हुआ।

(ii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ ।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक,2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 9) पारित हुआ।

12.10.50 PM

5. **नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :**

(1) **श्री राम कुमार (52-दून) ने** प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मैडल विजेता खिलाड़ियों को पड़ोसी राज्यों पंजाब/हरियाणा इत्यादि की तर्ज़ पर कम से कम पुलिस उप-अधीक्षक के पद से सम्मानित करने बारे विशेष उल्लेख किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

(2) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़) ने** नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुछेक नामतः सड़कों के शीघ्रातिशीघ्र निर्माण/मरम्मत किए जाने बारे विशेष उल्लेख किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

(3) **श्री रविन्द्र सिंह(10-देहरा) ने** चामुण्डा व डाढ (जिला कांगड़ा) क्षेत्रों में शीघ्रातिशीघ्र सीवरेज सुविधा हेतु प्रावधान करने बारे विशेष उल्लेख किया।

माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया।

(4) **श्री महेन्द्र सिंह (32-धर्मपुर) ने** सरकाघाट तथा मण्डी अस्पतालों में कथित चिकित्सकों व नर्सों की लापरवाही के कारण हुई मौतों से सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने बारे विशेष उल्लेख किया।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया।

12.18.30 PM

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री सुरेश भारद्वाज ने नियम-130 के अंतर्गत निम्न प्रस्ताव किया तथा चर्चा की :-

"यह सदन प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के प्रावधानों पर विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री ईश्वर दास धीमान

अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

अपराह्न 02.04 बजे सदन की बैठक पुनः आरंभ हुई तथा चर्चा जारी रही।

2. श्री सतपाल सिंह सत्ती
3. श्री विजय अग्निहोत्री
4. श्री नरेन्द्र ठाकुर
5. श्री हंस राज
6. श्री बम्बर ठाकुर
7. श्री रिखी राम कौंडल

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

अपराह्न 03.51.50 बजे सदन की बैठक बुद्धवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।